



To,
The Secretary
Affiliation Department
CBSE, New Delhi.

Date :

Subject: Regarding the Application for Upgradation to Senior Secondary Level.

Sir,
It is to bring to your kind notice that our school" H. M. Global School, Sambhal, (affiliation no. 2133556 and school code .80012) has been affiliated with CBSE upto Secondary Level last year for the session 2021-22. Now we are applying for Upgradation to Senior Secondary Level for the session 2022-23. Everything is completed as per bylaws of affiliation with CBSE. But the recognition with State Government expired on 31 March, 2021 and we applied for the Permanent Recognition on 18 March, 2021. But because of shortage of staff in the government offices due to COVID-19, the process could not be completed on time.

Moreover, it is also to bring to your kind notice that there is a "GO" number- 418/79-6-2013-S in which point number 13 says that schools that have got the recognition upto 8th for three years from Uttar Pradesh Government, their recognition will be considered as permanent in case no complaint violating the rules of State Government is found against the schools.

We have uploaded all the documents required for Upgradation to Senior Secondary Level as per CBSE affiliation bylaws.

You are, therefore, requested to kindly consider the application as true and grant us the affiliation upto Senior Secondary Level.

We assure you that we will produce the renewed permanent recognition as soon as it is issued to us. Hope you understand our problem.

Thank you.

Sincerely yours,
Syed Jamal Uddin
Principal
H.M. Global School, Sambhal, Uttar Pradesh.



H.M. GLOBAL SCHOOL

Campus at: Hasanpur Road, SH-51, Sambhal-244302

Call: +91 9756786000, 9990900752, Mail: info@globalschool.com, Website: www.hmglobalschool.com

प्रेषक

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: ०४ मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-442/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 05-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दि० 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में उक्त विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

121

आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों/शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

OR
8.5.13
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 4-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 8-गार्ड फाईल।

12/1

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथपत्र

37AE 466013

मैं लबीबर रहमान प्रबन्धक एच.एम.ग्लोवल स्कूल, हबीबपुर गाँव हसनपुर रोड
सम्भल उत्तर प्रदेश 244302 जिसका सी.बी.एस.ई. स्फीलेशन नं. 2133556 है।

1- यह स्पष्ट करता हूँ कि मेरा विद्यालय सफलतापूर्वक तीन वर्षों से काम कर रहा है।
तथा यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन वर्षों में मेरे विद्यालय में कोई
भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है।

2- मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है। और इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है।



शानाख्तकर्ता

शपथकर्ता
[Signature]

शानाख्तकर्ता

[Handwritten Signature]
I solemnly affirm that the above is true to the best of my knowledge and belief.
Advocate on
behalf of the defendant.
I have read the contents of the above document and the same has been read over and explained to the defendant.
Rs. 10 as fees
Fazeez Alam Advocate
Sambhal

शपथकर्ता
[Signature]